2019/00257

PV

तहसीलदार सा० श्री नवीन D.L.C. दर से रिपोर्ट प्राप्त हुई

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
धारा 251 (ए)	162/2019	15/10/2019	Anit	23/7/24 20/8/24 11/9/24 9/10/24 13/11/24

अनवान

श्री भ्रांकरलाल, रमेश s/o तुलसीराम धाकड़ श्री सरकार

निवासी नयागांव निवासी

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री अनिल कुमार धाकड़ श्री

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/8/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते A/O/L आगामी दिनांक 11/9/24 को पेश हो [signature]	
11/9/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते A/O/L आगामी दिनांक 9/10/24 को पेश हो [signature]	
23/10/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 23/10/24 को वास्ते A/O/L पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी	
23/10/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. ... दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 13/11/24 को वास्ते A/O/L पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी	
13/11/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 19/11/24 को पेश हो। [signature]	
19/11/24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखवाया गए एवं खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

ीठासीन अधिकारी : – श्रीमान अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

ापत्र संख्या :– 162/2019 **दायर तारीख 15.10.2019**

अनवान

ंकरलाल पिता तुलसीराम जाति धाकड़ उम्र 60 वर्ष निवासी नयागांव तहसील बिजौलिया जिला ोलवाडा।

ेश पिता तुलसीराम जाति धाकड़ उम्र 45 वर्ष निवासी नयागांव तहसील बिजौलिया जिला ीलवाडा।

............प्रार्थीगण

बनाम

ाजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

स्थित :– 1. श्री अनिल कुमार धाकड़, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक : 19/11/2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता ने प्रार्थना त्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विपक्षी पेश कर निवेदन केया की प्रार्थीगण के स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि मौजा ग्राम किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा स्थित आराजी संख्या 389/110 रकबा 3–00 बीघा एवं आराजी संख्या 390/117 रकबा 5–00 बीघा भूमि स्थित हैं। जिस पर आने जाने के लिए 20 फीट चौड़ा रास्ता जो कि आराजी संख्या 111 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वां भूमि के उतरी मेड पर होते हुए पश्चिमी मेड पर होकर प्रार्थीगण की आराजी तक जाता हैं। प्रार्थीगण एवं पूर्व खातेदार कई वर्षो से निरन्तर उसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी पर काश्त की जा रही हैं। मौके पर वर्तमान में भी रास्ते के आलामात हैं परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगणों को अपनी आराजीयात में आने जाने के लिये परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगणों के पास अपनी आराजीयात पर काश्त करने के लिए आने जाने हेतु व ट्रेक्टर बैलगाडी ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगणों को उक्त रास्ते से आने जाने हेतु कभी भी अवरूद्ध किया जा सकता है। प्रार्थीगणों के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नही हैं। प्रार्थीगण विपक्षी की उक्त आराजी पर स्थित 20 फीट चौड़े रास्ते को रेकॉर्ड में दर्ज करने के बदले तय किया जाने वाले मुआवजे के भुगतान को तैयार हैं। उक्त आराजीयात पर जाने के लिए रास्ते को राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के आदेश प्रदान कराना फरमावें।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी की तलबी जरिय नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गयी।

प्रकरण में मात्र विपक्षी तहसीलदार ही पक्षकार हैं। अतः प्रकरण में मौका स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार बिजौलियां से तलब की गयी तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2020/248 दिनांक 27.02.2020 में अंकित किया कि मौजा ग्राम किशनपुरिया के आराजी नं0 389/110 रकबा 3.00 बीघा व आराजी नं0 390/117 रकबा 5.00 बीघा किता 2 रकबा 8.00 बीघा भूमि में आने जाने के लिऐं आराजी नं0 111 के उतरी व पश्चिमी मेर तथा आराजी नं0 103 के पूर्वी मेर पर होकर मुख्य रास्ते तक पहुंचता है। प्रार्थी द्वारा 20 फीट चौडे रास्ते हेतु आवेदन किया है। रेकार्ड अनुसार आराजी नं0 103 रकबा 2.03 बीघा किस्म बंजड होकर गैर काबिल काश्त है। तथा आराजी नं0 111 रकबा 6.05 बीघा किस्म बंजड होकर बिलानाम गैर काबिल काश्त (झाड झंखाड वाले वन चरागाह हेतु) दर्ज है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पहुंचने के लिऐं उक्त प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई बिलानाम भूमि खनिज स्वीकृत/खनिज सम्भावित, एन0एच0/एस0एच0 से 250 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

आराजी नं0 111 में 67 गट्ठा लम्बाई व 3 गट्ठा चौडाई यानि 0.10 बीघा एवं आराजी नं. 103 में 47 गट्ठा लम्बाई व 3 गट्ठा चौडाई यानि 0.07 बीघा कुल किता 2 रकबा 0.17 बीघा भूमि रास्ता प्रस्तावित किया हैं प्रस्तावित रास्ते हेतु भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 38095/– रूपये प्रति बीघा से भूमि की किमत 32385/– का दुगुना से 64770/– राशि बनती है।

प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां से नवीन डी.एल.सी. दर अनुसार गणना कर रिपोर्ट चाही गयी।

तहसीलदार बिजौलियां के पत्रांक/राजस्व/2023/551 दिनांक 17.04.2023 की रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम किशनपुरिया में खातेदारी भूमि आराजी नं0 389/110, आराजी नं0 390/117 रकबा 1.2950 है0 भूमि में आने जाने के लिए आराजी नं0 111 (बिलानाम भूमि) में 1.0117 है0 भूमि में से 20 फीट चौडा रास्ता चाहा गया हैं। रास्ते हेतु आराजी नं0 111 में से (134X6मी) 0.0804 है0 भूमि रास्ते हेतु पूर्व में प्रस्तावित की गई थी। उक्त प्रस्तावित भूमि एन.एच.एस.एच. से 500 मीटर से अधिक दूरी पर, आबादी से 01 कि0मी0 से अधिक दूरी पर, खनिज स्वीकृत व खनिज संभावित से व रिको से 250 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित हैं।

रास्ते हेतु प्रस्तावित आराजी नं0 111 (बिलानाम भूमि) 1.0117 है0 में से 0.0804 है0 भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 233518/– रूपये प्रति है0 की दर से मालियत 18775/– रूपये का दुगुना 37550/– रूपये बनते है।

प्रकरण में बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार की सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

उक्त प्रस्तावित रास्ता आराजी नं0 111 रकबा 1.0117 है0 में से 0.0804 है0 भूमि में से रास्ता दिये जाने हेतु भूमिधारी तहसीलदार बिजौलिया ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया हैं। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में मौके पर दर्ज नही हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

–: आदेश :–

अतः प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थीगणों को स्वयं के खाते की भूमि ग्राम किशनपुरिया स्थित आराजी नं0 389/110, आराजी नं0 390/117 रकबा 1.2950 है0 भूमि में आने जाने के लिए आराजी नं0 111 (बिलानाम भूमि) 1.0117 है0 भूमि में से (134X6मी) 0.0804 है0 भूमि प्रार्थी की आराजी में प्रवेश हेतु बनती है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 दर 233518/– रूपये प्रति है0 की दर से मालियत 18775/– रूपये का दुगुना 37550/– रूपये बनते है। बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमान्तर्गत रास्ता राजस्व अभिलेख में गै0मू0 रास्ता (रास्ता/पगडंडिया) अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते हैं। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 19/11/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा